निदेशालय,बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,उ0प्र0।

पत्र सं0 C-168/बा0वि0परि0/P.F.M.S./2017–18 **दिनांक** 29 मई,2017

जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी

जनपद–(बलिया, कानपुर देहात, महोबा, झाँसी, ललितपुर, बाराबंकी, मिर्जापुर, भदोही, अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद, उन्नाव व सोनभद्र को छोड़कर।)

विषयः–P.F.M.S. प्रणाली के अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों (आंगनबाड़ी कार्यकत्री/ मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री/आंगनबाड़ी सहायिका) के माह मार्च,2016 से माह फरवरी,2017 तक की अवधि के मानदेय का भुगतान न होने के संबंध में।

निदेशालय पत्र सं0–सी–152 दिनांक 18.5.2017 के द्वारा प्रारूप–01 व प्रारूप–02 पर इस आशय से सूचना मांगी गयी थी कि P.F.M.S. प्रणाली के अन्तर्गत जिन लाभार्थियों का माह मार्च,2016 से माह फरवरी,2017 तक का मानदेय का भुगतान नही हुआ है उनकी सूची आगामी 03 कार्य दिवसों में प्रेषित की जाय। यह अत्यन्त खेदजनक स्थिति है कि मात्र 13 जनपदों के द्वारा ही प्रारूप–01 व प्रारूप–02 पर सूचना उपलब्ध कराई गई है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रारूप–01 व प्रारूप–02 पर सूचना आगामी 03 कार्य दिवसों में **adficds@gmail.com** पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जिससे जिन लाभार्थियों को माह मार्च,2016 से माह फरवरी,2017 तक का मानदेय का भुगतान प्राप्त नही हो सका है उनके मानदेय भुगतान के संबंध में कार्यवाही करायी जा सके। जनपद में उक्त अवधि में लम्बित मानदेय भुगतान का कोई प्रकरण नही है तो शून्य की सूचना दी जायेगी। यदि आगामी 03 दिनों के अन्दर जनपद स्तर से सूचना नही भेजी जाती है तो जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान कर दी जायेगी।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक।